मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

चतुर्दश विधान सभा चतुर्थ सत्र

दिसंबर, 2014 सत्र

सोमवार, दिनाँक 8 दिसंबर, 2014

(17 अग्रहायण, शक संवत् 1936)

[खण्ड- 4] [अंक- 1]

मध्यप्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनाँक 8 दिसंबर, 2014

(17 अग्रहायण, शक संवत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

{ अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.}

राष्ट्रगीत

राष्ट्रगीत वन्देमातरम् का गायन.

अध्यक्ष महोदय-- अब राष्ट्र गीत वंदेमातरम् होगा. सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएँ.

(सदन में राष्ट्रगीत वन्देमातरम् का समूह गान किया गया)

10.33 बजे

आंग्ल-भारतीय समुदाय को मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा में प्रतिनिधित्व संबंधी अधिसूचना का पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय-- आंग्ल भारतीय समुदाय को मध्यप्रदेश विधान सभा में प्रतिनिधित्व देने संबंधी विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना, प्रमुख सचिव, विधान सभा पटल पर रखेंगे.

श्री भगवानदेव ईसरानी, प्रमुख सचिव, विधान सभा-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, संविधान के अनुच्छेद 333 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में माननीय राज्यपाल, मध्यप्रदेश द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि को विधान सभा के सदस्य के रूप में नाम-निर्देशित किये जाने विषयक विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 15-1-2014-इक्कीस-ब (दो), दिनाँक 22 जुलाई, 2014 पटल पर रखता हूँ.

10.34 बजे

शपथ

(1)श्री संजय पाठक

(2)श्री गोपाल परमार

(3) श्रीमती लोरेन बी.लोबो

(4)कुँवर सौरभ सिंह

अध्यक्ष महोदय-- उप चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 92- विजयराघवगढ़ से निर्वाचित सदस्य, श्री संजय पाठक, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 94- बहोरीबंद से निर्वाचित सदस्य, कुँवर सौरभ सिंह तथा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 166 आगर(अ.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री गोपाल परमार शपथ लेंगे, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे.

श्री संजय पाठक-- (विजयराघवगढ़) (शपथ)

(मेजों की थपथपाहट)

श्री कैलाश विजयवर्गीय-- संजय, डबल बधाई. विधायक की भी और महापौर जिताया उसकी भी.

श्री संजय पाठक-- धन्यवाद भाई साहब.

श्री गोपाल परमार(आगर)—(शपथ)

(मेजों की थपथपाहट)

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय)—अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की साउण्ड व्यवस्था काफी अच्छी हो गई है, सामने स्क्रीन में हम लोग दिख भी रहे हैं. इस सब के लिये मैं आपको सदन की ओर से धन्यवाद देता हूं.

अध्यक्ष महोदय—संविधान के अनुच्छेद 333 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा सदस्य के रुप में नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय समुदाय की श्रीमती लोरेन बी. लोबो शपथ लेंगी, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगी और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगी.

श्रीमती लोरेन बी. लोबो (नाम निर्दिष्ट)—(शपथ) (अंग्रेजी)

(मेजों की थपथपाहट)

श्री कैलाश विजयवर्गीय—अध्यक्ष महोदय, धीरे-धीरे एक-एक चीज पर नजर जा रही है पहले स्क्रीन पर नजर गई अब हमारी सीट पर हमारा फोटो भी लगा दिया गया है पहले हर सीट पर नाम लिखा हुआ था.

पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री गोपाल भार्गव)—अध्यक्ष महोदय, कैलाश जी का फोटो यहां पर स्थायी रुप से लगा रहे वर्षों तक, कार्यकालों तक.

श्री कैलाश विजयवर्गीय—अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में सबसे अच्छे दोस्त मेरे यही हैं.

(हंसी)

श्री गोपाल भार्गव—अध्यक्ष महोदय, यह तो सब बदल गया है लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यहीं रहें, स्थायी रुप से और पुराने ही लोग रहें.

(हंसी)

श्री कैलाश विजयवर्गीय—अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के नगरीय निकाय चुनावों में माननीय मुख्यमंत्रीजी के नेतृत्व में जिस तरह से बहुमत मिला है, बहुमत ही नहीं मिला है बल्कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस का सफाया कर दिया है, मैं मुख्यमंत्रीजी को सदन की ओर से बधाई देना चाहता हूँ.

श्री सुन्दरलाल तिवारी (गुढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, किस तरह मध्यप्रदेश में चुनाव हुए हैं सौरभ सिंह जी उसके उदाहरण हैं और वे सदन में आ रहे हैं.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे.

श्री सुन्दरलाल तिवारी—अध्यक्ष महोदय, आतंक के साये में और प्रशासन का साथ लेकर इस तरह के अपराध किये गये हैं इस सदन के माननीय सदस्य..(व्यवधान)

श्री विश्वास सारंग (नरेला)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मध्यप्रदेश की जनता के निर्णय के खिलाफ बोल रहे हैं. यह जनता ने जनादेश दिया है. जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताया है.(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल तिवारी—माननीय अध्यक्ष महोदय एक जगह नहीं कई जगह यह हुआ है. (XX) (व्यवधान)

श्री विश्वास सारंग—यह मध्यप्रदेश की जनता का निर्णय है.(व्यवधान)

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सुन्दरलाल जी जनता के जनादेश का निरादर कर रहे हैं.(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल तिवारी—माननीय अध्यक्ष महोदय, एक घायल सदस्य सदन के अन्दर आये हैं इस तरह की हजारों घटनायें मध्यप्रदेश में हुई हैं.(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—कृपया शांत रहें.(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल तिवारी—गंभीर मामला है आपके सामने माननीय सदस्य हैं.(व्यवधान)

(XX) विलोपित rs

श्री सौरभ सिंह (बहोरीबंद) – (शपथ)

श्री मुकेश नायक- माननीय अध्यक्ष महोदय, सौरभ सिंह जिस तरह से सदन के अंदर आये हैं, नगर निगम के चुनाव दंभ, अहंकार, (XX) और सत्ता में मोर्चा और मदहोश लोगों का एक नमूना है कि मध्यप्रदेश में स्थानीय शासन के चुनाव किस तरह से हुए है ।

अध्यक्ष महोदय :- यह निकाल दें ।

श्री कैलाश विजयवर्गीय:- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर बहस हो रही है तो हम भी इस पर जवाब देना चाहते हैं, यह जनता के जनादेश पर गलत शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह लोग प्रजातंत्र का सम्मान नहीं कर रहे हैं ।

श्री मुकेश नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रजातंत्र है, इस तरह से आप मध्यप्रदेश में प्रजातंत्र का सम्मान करेंगे ?

श्री कैलाश विजयवर्गीय :- आपको हजम करना कोई छोटी बात नहीं है, आप इसको हजम करिये, मध्यप्रदेश के इतिहास में आपको सफाया कर दिया । लोकसभा में , विधान सभा में और अब नगर निगम में इन लोगों का सफाया कर दिया गया है । इसको आपको हजम करना कोई छोटी बात नहीं है, आप इसको हजम करिये ।

श्री मुकेश नायक :- यह प्रजातंत्र है, यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, प्रदेश के एक जनप्रतिनिधि के साथ मध्यप्रदेश मे मतदाता का (व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल तिवारी:- यह प्रजातंत्र का अपमान है ।

डॉ. गोविन्द सिंह :- अध्यक्ष महोदय, लगातार विरोधी कार्यकर्ताओं को जेल में भेजा गयाझूठे मुकदमें लगाये गये और लाठी और बंदूक की दम पर मतदाताओं को बंद करके , पुलिस ने मतदान किया है, (व्यवधान) जनता ने इनको करारा जवाब भी दिया है, चंबल संभाग और

ग्वालियर संभाग में, लाठी और बंदूके भी असफल हुई , सभी अखबारों में, समाचारों में और टीवी, रेडियों में सभी जगह खबरें चली है। परंतु आज तक जब सरकारी अधिकारी/ कर्मचारी से चुनाव इसी तरह करवाने थे तो चुनाव कराये ही क्यों, निवार्चित घोषित कर देते ।

श्री सुन्दर लाल तिवारी :- अध्यक्ष महोदय, महापौर के चुनाव में नगर पंचायतों में व्यापक भ्रष्टाचार किया गया । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप सभी लोग बैठ जाईये। (व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल तिवारी :- शासन का भी दुरूपयोग किया गया पूरी पुलिस सरकार के साथ खड़ी थी । (भारी व्यवधान)....कांग्रेस के कार्यकताओं को प्रताड़ित और मारपीट कर रही थी और भय का वातावरण निर्मित था थाने में रिपार्ट लिखने के लोग तैयार नहीं थे। यहविधायक की स्थिति थी है, इसका मूल्यांकन किया जा सकता है।

श्री मुकेश नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सदस्य ये उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- कृपया आप लोग बैठ जाईये । मुकेश नायक जी आप वरिष्ठ सदस्य हैं। (व्यवधान) आप बैठ जाईये ।

श्री मुकेश नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बैठने को कह रहे हैं, मध्यप्रदेश में माननीय विधायकों के साथ जो घटनाएं हुई हैं इस पर जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी जब तक इस विषय पर अपना वक्तव्य नहीं देंगे, हम बोलते रहेंगे, हम नहीं बैठेंगे, (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :-आप विषय तो देखिये (भारी व्यवधान)

निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यन्त दुख हो रहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अब्दुल रहमान अंतुले का 02 दिसम्बर, पूर्व केन्द्रीय मंत्री, श्री मुरली देवड़ा का 24 नवम्बर, लोकसभा सदस्य, श्री रेशमलाल जांगड़े का 11 अगस्त तथा मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यगण, श्री खुमान सिंह रघुवंशी का 20 जुलाई, श्री सुरेश चौधरी का 2 नवम्बर एवं श्री शिवप्रताप सिंह का 29 नवम्बर, 2014 को निधन हो गया है.

श्री अब्दुल रहमान अंतुले का जन्म 09 फरवरी, 1929 को ग्राम अम्बेत जिला रायगढ़ महाराष्ट्र में हुआ था. आप 1962-76 तथा 1980-89 में महाराष्ट्र विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये तथा 1969-76 में विभिन्न विभागों के राज्यमंत्री एवं मंत्री, 1976-80 में राज्य सभा के सदस्य और 1980-82 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे. श्री अंतुले नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं एवं चौदहवीं लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होकर केन्द्र सरकार में मंत्री रहे.

आपके निधन से देश ने एक वरिष्ठ राजनेता एवं कुशल प्रशासक खो दिया है.

श्री मुरली देवड़ा का जन्म 10 जनवरी, 1937 को मुम्बई (महाराष्ट्र) में हुआ था. श्री देवड़ा 1977-78 में मुम्बई के महापौर रहे. आप 1982-85 में महाराष्ट्र विधान परिषद, आठवी, नौवी, दसवीं एवं बारहवीं लोक सभा के सदस्य और 2002, 2008 एवं 2014 में राज्यसभा सदस्य चुने गये. श्री. देवड़ा 2006-2011 में केन्द्र सरकार में मंत्री तथा विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थाओं के पदाधिकारी भी रहे.

आपके निधन से देश ने एक वरिष्ठ राजनेता एवं कुशल प्रशासक खो दिया है.

श्री रेशमलाल जांगड़े का जन्म सन् 15 फरवरी, 1925 को ग्राम परसाडीह जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़) में हुआ था. श्री जांगड़े ने 1942 के स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन में भाग लिया और जेल गये. आप 1950-52 में अंतरिम संसद के सदस्य रहे. तदनंतर आप पहली, दूसरी एवं नौवी लोकसभा के सदस्य चुने गये. आप तीसरी, पांचवी एवं 1985 में आठवीं विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये. आप 1963 में मध्यप्रदेश सरकार में उपमंत्री, 1985-86 में मध्यप्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष एवं 1986-87 में विपक्ष के नेता रहे. आप अनेक सभा एवं विभागीय सलाहकार समितियों के सदस्य एवं सभापति रहे.

आपके निधन से देश ने एक स्वतंत्रता सेनानी, लोकप्रिय नेता, कुशल प्रशासक एवं कर्मठ समाजसेवी खो दिया है.

श्री खुमान सिंह रघुवंशी का जन्म सन् 11 मई, 1928 को हुआ था. श्री रघुवंशी ने कई शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की. आप डी.सी.सी. के अध्यक्ष रहे. आपने प्रदेश की दूसरी विधान सभा (1957-1962) में कांग्रेस की ओर से सांची का प्रतिनिधित्व किया था.

आपके निधन से प्रदेश ने एक लोकप्रिय नेता और समाजसेवी खो दिया है.

श्री सुरेश चौधरी का जन्म 10 मार्च, 1950 को सबलगढ़ जिल मुरैना में हुआ था. श्री चौधरी नगर पालिका परिषद सबलगढ़ के अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहे. आप अनेक सामाजिक संस्थाओं में पदाधिकारी रहे. श्री चौधरी कांग्रेस की ओर से 1980 में सातवीं, 1993 में दसवीं एवं 2008 में तेरहवीं विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये. आप मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष भी रहे.

आपके निधन से प्रदेश के सार्वाजनिक जीवन की अपूरणीय क्षति हुई है.

श्री शिवप्रताप सिंह का जन्म 01 मई, 1942 को ग्राम सोनपुर जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़) में हुआ था. आप 1977 में छठी, 1990 में नौवीं एवं 1993 में दसवीं विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये. नौवीं विधान सभा अवधि में आप राज्यमंत्री आदिम जाति कल्याण रहे. आप 2003-2008 में छत्तीसगढ़ विधान सभा और अप्रैल, 2008 से अप्रैल, 2014 तक राज्यसभा के सदस्य रहे.

आपके निधन से प्रदेश के सार्वाजनिक जीवन की अपूरणीय क्षति हुई है.

मुख्यमंत्री (श्री शिवराजसिंह चौहान)—माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री अब्दुल रहमान अंतुले अपने समय के बड़े चर्चित राजनेता थे वह लोकप्रिय भी थे तथा कुशल प्रशासक भी थे और उस नाते वे विधान सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए और महाराष्ट्र में अनेकों विभागों में वे मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री का पद भी उन्होंने संभाला बाद में वह लोकसभा में भी निर्वाचित हुए, वह लोकसभा में रहे, विधान सभा में रहे, वे केन्द्र सरकार में मंत्री भी रहे और राज्य सभा के सदस्य भी रहे, इससे उनकी राजनीतिक पकड़ और उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है वे सफल राजनेता और कुशल प्रशासक रहे हैं उनके निधन से हमने एक वरिष्ठ एवं एक अनुभवी राजनेता को खोया है.

श्री मुरली देवड़ा जी 1977-78 में मुम्बई के महापौर रहे थे. महापौर रहते हुए मुम्बई के विकास को उन्होंने ठीक दिशा देने का कार्य किया था. बाद में वह विधान परिषद् में भी चुने गये, लोक सभा एवं राज्य सभा के लिये भी चुने गये और बाद में केन्द्र सरकार में मंत्री रहे, लेकिन वे राजनीति तक सीमित नहीं रहे उन्होंने सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं में भी विभिन्न पदों पर रहकर काम किया और अपनी कला प्रियता का भी परिचय दिया उनके निधन से भी हमने एक कुशल प्रशासक, वरिष्ठ राजनेता तथा लोकप्रिय नेता को खोया है.

श्री रेशमलाल जांगड़े जमीन से जुड़े राजनेता थे, वे स्वतंत्रता संग्राम सैनानी थे. 1942 में अंग्रेजो भारत छोड़ो जब स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चला था तो जांगड़े जी पूरी सक्रियता के साथ उसमें भाग लेने वाले विरले लोगों में से एक थे. भारतीय जनसंघ के काम को छत्तीसगढ़ के उस इलाके में जमीन तक पहुंचाने में विशेषकर हमारे आदिवासी क्षेत्रों में संगठन के विस्तार को उन्होंने बहुत गति दी और वह अंतरिम संसद के सदस्य तो 1950 से रहे, 1952 के बीच में चुनाव के पहले, जब पहले लोकसभा के चुनाव 1952 में सम्पन्न हुए थे, लेकिन जब चुनाव हुए तब भी वह पहली, दूसरी और नवीं लोकसभा के सदस्य रहे, इस विधान सभा के भी सदस्य रहे, उप मुख्यमंत्री जी के रूप में उन्होंने अपनी प्रशासनिक दक्षता का भी परिचय देने का काम किया और एक कुशल संगठक के रूप में मध्यप्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी रहे उनके निधन से हमने जमीन से जुड़ा हुआ आम लोगों के बीच में से आये हुए एक राजनेता को खोया है, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी को खोया है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री खुमान सिंह रघुवंशी जी रायसेन जिले के बरेली में भोड़िया के निवासी थे, किसान नेता थे, कांग्रेस के काम को विस्तार देने में रायसेन जिले में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, दूसरी विधान सभा के सांची से निर्वाचित सदस्य रहे थे, उनके निधन से भी एक समाज सेवी तथा लोकप्रिय नेता को खोया है.

श्री सुरेश चौधरी जी अभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वे हमारे बीच में नहीं हैं, पिछली विधान सभा में हमारे साथ सबलगढ़ से सदस्य के नाते बैठा करते थे, वे मृदुभाषी थे, व्यवहारिक थे, जनता के बीच में वे बहुत ही लोकप्रिय थे, अचानक वह हमें छोड़कर के चले गये, वे नवीं विधान सभा में निर्वाचित हुए थे, वे राज्यमंत्री आदिम जाति कल्याण विभाग रहे थे उनके निधन से मानवीय गुणों से भरपूर नेता को हमने खोया है और सार्वजनिक जीवन में अपूर्णीय क्षति हुई है.

श्री शिवप्रताप सिंह जी एक लोकप्रिय जननेता थे, जमीन से जुड़े कार्यकर्ता थे, आदिम जाति कल्याण विभाग के राज्य मंत्री जी के रूप में उन्होंने बड़ी ही कुशलतापूर्वक काम किया, इन सभी वरिष्ठ राजनेताओं के निधन पर मैं सदन की ओर से, अपनी ओर से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके मित्रों को परिजनों को, शुभचिन्तकों को, अनुयाईयों को यह गहन दुःख सहन करने की क्षमता दें ओम-शांति.

श्री बाला बच्चन (राजपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री अब्दुल रहमान अंतुले जी सर्वधर्म भाव पर चलने वाले नेता थे और उन्होंने यूथ कांग्रेस से अपनी राजनीति शुरू की थी और एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में काम करते-करते उन्होंने अपने कार्य का क्षेत्र बढ़ाया और उसके बाद उन्होंने विधान सभा, लोकसभा और पूरे राज्य को कवर किया और आप हम सब बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि वह महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री के रूप में खूब अच्छी सेवायें उन्होंने दीं, यह सर्वविदित है. माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद वह केंद्रीय मंत्री भी बने लोकसभा के सदस्य के रूप में भी वह निर्वाचित हुए और उन्होंने अपने इन काम को यहीं तक अंजाम नहीं दिया, यहीं तक नहीं रूके वह. मुझे याद है शहीद सैनिकों की स्मृति को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये मुंबई में हुतात्मा चौक का निर्माण कराया है, केवल मुंबई में ही नहीं, देश के बहुत सारे स्थानों पर हुतात्मा चौक का निर्माण कर उन्होंने यह दिखाया है कि जो शहीद हुए हमारे देश के सैनिक, उन्हें हमेशा हमारा यह प्रदेश और देश, यह हमारा राष्ट्र हमेशा उन्हें याद रखे, इसके लिये उन्होंने एक बहुत बड़ा

काम किया है माननीय अध्यक्ष महोदय. यह देश उनकी सेवाओं का हमेशा ऋणी रहेगा, तो मैं उन्हें भी आज के इस अवसर पर मेरी तरफ से तथा मेरे दल के सभी सदस्यों की तरफ से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से इस बात की प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवार के प्रति हम सभी संवेदना व्यक्त करते हैं.

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री मुरली देवड़ा जी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं. जैसा कि आपने सूचि में अभी उल्लेख किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया है, वह केंद्रीय मंत्री रहे हैं, संसद के दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा के वह सदस्य रहे हैं और 1977 में मुंबई के वह मेयर रहते हुए, अपनी राजनीति को उन्होंने आगे बढ़ाई और आपने सूचि में उल्लेख किया है, उसके अलावा जो एक बात छूट गई है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं कि एम.आर.सी.सी. के मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी के वह लगभग 17 वर्षों तक अध्यक्ष रहे हैं और मुझे याद है कि मैं अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव होकर मैं महाराष्ट्र का सह प्रभारी भी हूं, तो फर्स्ट टाइम जब मैं बनकर गया था, तो मुझे भी वह आशिर्वाद देने के लिये आये थे और मैंने अभी यह जो विगत् विधान सभा और लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उनके साथ मैंने काफी काम किया है, शिक्षा से बहुत उनका लगाव था और शिक्षा को वह सभी समस्याओं का समाधान मानते थे, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुंबई में लगभग 50 कंप्यूटर सेंटर स्थापित किये हैं और उन कंप्यूटर सेंटर्स से हर वर्ष 50 हजार लोगों को कंप्यूटर से संबंधित प्रशिक्षण दिलाने का काम करवाते हैं उनके वह सेंटर, यह भी मुझे याद है और उन सेंटरों पर मैं गया भी हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे काम किये हैं, तो मैं उन्हें भी आज के इस अवसर पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए ईश्वरसे प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं. माननीय अध्यक्ष महोदय, रेशमलाल जांगड़े जी जो अंतरिम संविधान निर्मात्री सभा थी, उसके वह सदस्य थे और उस पर रहते हुए पहली लोकसभा के वह सदस्य

निर्वाचित होकर आये थे और बहुत ही सादगीपूर्ण उनका जीवन रहता था. आज के हम लोग जो राजनीतिज्ञ हैं, हमें भी उनका अनुसरण करना चाहिये और ऐसे सादगीपूर्ण जीवन को अपनाकर हम लोगों को भी जनता के बीच में एक मैसेज और एक संदेश हम लोगों को देना चाहिये कि किस तरह से पुराने हमारे राजनेता हुआ करते थे, सादगीपूर्ण जीवन को अपनाकर नव निर्माण और विकास का काम करते थे. तो मैं समझता हूं कि हमको उनसे सीखना चाहिये. मैं उन्हें भी श्रद्धासुमन अर्पित करता हू और ईश्वर से उनके लिये भी ऐसी प्रार्थना करता हूं कि उन्हें शांति प्रदान करे और उनके परिवार के प्रति भी मैं संवेदना व्यक्त करता हूं.

श्री सुरेश चौधरी जी, हमारे विधान सभा के मेरे खुद के भी वे साथी थे, मित्र थे. कांग्रेस पार्टी के एक बड़े लीडर थे. वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहे हैं. बहुत सारे सरकारी पदों के ऊपर भी, जैसे वे मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, जिसका अभी उल्लेख हुआ है. तीन बार वे विधान सभा के सदस्य भी रहे हैं. मैं भी उनके पास में बैठता था. जब कभी भी कोई बात आती थी, कोई जटिल मुद्दे पर डिसकशन हाउस में होता था, तो हम उनसे राय लेते थे, उनसे समझते थे और उसके बाद हम लोग कार्यवाही को आगे बढ़ाते थे. इसके अलावा भी जब कभी भी कोई हमारी पार्टी की राजनीतिक गतिविधियां होती थीं, पार्टी से संबंधित काम होता था, तो भी हम लोग उनसे सलाह मशविरा करते थे. मैं समझता हूं कि इन सभी नेताओं के रुप में ये हमारे सामाजिक, राजनीतिक और बड़े नेता रहे हैं, इनके खोने से जरुर नुकसान हमारे प्रदेश का और देश का भी हुआ है. जिस तरह से मैंने पहले नेताओं का जिक्र किया है.

श्री खुमान सिंह रघुवंशी जी एवं शिव प्रताप सिंह जी, इनका भी प्रदेश के विकास, नव निर्माण के कार्यों के लिये काफी सहयोग रहा है. उनके सहयोग को हम याद रखते हुए, मैंने उनके बारे में बहुत सारी बातों को पढ़ा है. अध्यक्ष महोदय, आपने कार्यसूची में जिन जिन हमारे नेताओं का निधन हुआ है, उनका आपने उल्लेख किया है. इनका मध्यप्रदेश के विकास एवं नव निर्माण के कार्यों के लिये बहुत

अच्छा सहयोग रहा है. हम उन्हें भी याद करते हैं और उन्हें भी मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और उनके लिये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं.

अध्यक्ष महोदय, ऐसे ही पता नहीं यह उल्लेख कार्यसूची में क्यों नहीं आया है. छत्तीसगढ़ के सुकुमा में और कश्मीर में कुछ सैनिक शहीद हुए हैं, पुलिस नौजवान शहीद हुए हैं, उनके प्रति भी मैं अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार वालों को हम सब इस बात का ढांढस दें और उनको बतायें कि पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है और उन्हें भी हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं. उन जवानों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं. ओम शांति ओम.

श्री रामनिवास रावत (विजयपुर) -- अध्यक्ष महोदय, श्री अब्दुल रहमान अंतुले जी, श्री मुरली देवड़ा जी,श्री रेशमलाल जांगड़े जी, श्री खुमान सिंह रघुवंशी जी, श्री सुरेश चौधरी जी एवं श्री शिव प्रताप सिंह जी, इन सबके निधन का उल्लेख किया गया है. मैं इन सब दिवंगत आत्माओं के प्रति शोक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. श्री सुरेश चौधरी जी, हमारे पूर्व के जिले के थे, मेरे पड़ोसी थे. वे 1950 में पैदा हुए और छात्र राजनीति से ही राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में काफी सक्रिय रहे. सक्रिय रहकर समाज सेवा में निरन्त लगे रहे. मध्यप्रदेश विधान सभा के वे 3 बार विधायक रहे, जैसा कि पूरा सदन जानता है कि पिछली विधान सभा में भी थे. बहुत व्यावहारिक, मृदभाषी थे और अपने क्षेत्र के विकास एवं समाज के विकास के कार्यों के लिये सदैव सतत् प्रयत्नशील रहते थे. मैं उनकी दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिन सभी का उल्लेख किया गया है, इनके निधन से हमारे देश एवं प्रदेश के समाज सेवा एवं राजनीति के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है. मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे.

एडव्होकेट सत्यप्रकाश सखवार (अम्बाह) -- अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा उल्लेखित महानुभावों द्वारा राजनीति के माध्यम से इस देश एवं समाज की महत्वपूर्ण सेवाएं की गयी हैं. उनके हमारे बीच से चले जाने से अपूरणीय क्षति हुई है, किन्तु वे अपनी इन सेवाओं के परिणाम स्वरुप हमेशा याद किये जाते रहेंगे. मैं अपनी ओर से तथा अपने दल के सभी सदस्यों की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित देता हूं.

अध्यक्ष महोदय -- मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं . अब सदन 2 मिनिट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रृद्धांजलि अर्पित करेगा.

(सदन द्वारा 2 मिनिट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रृद्धांजलि अर्पित की गई)

अध्यक्ष महोदय -- ओइ्म शांति, शांति, शांति . दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनिट के लिये स्थगित.

(11.06 बजे दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनिट के लिये स्थगित.)

समय **11.12 बजे अध्यक्ष महोदय(** डॉ सीतासरन शर्मा**) पीठासीन हुए.**

श्री मुकेश नायक-- अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष महोदय-- पहले आप बैठ जायें. आज निधन के उल्लेख के समय माननीय वरिष्ठ सदस्य लगातार बोलते रहे. यह एक अच्छी परम्परा नहीं है. सामान्य जन भी ऐसा नहीं करता. फिर हम तो जन प्रतिनिधि हैं. आप सब माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपा करके मर्यादा बनाये रखें और गंभीर क्षणों को गंभीर ही रहने दें.

श्री मुकेश नायक-- अध्यक्ष महोदय, श्रृद्धांजलि के समय किसी भी विधायक ने बीच में बोला नहीं. पूरा सदन इसका गवाह है. अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट चाहूंगा...

अध्यक्ष महोदय-- नहीं, कोई स्पष्टीकरण की जरुरत नहीं है.

श्री मुकेश नायक-- यह विधायक की अस्मिता उसके लोकतांत्रिक अधिकार, उसके जीवन रेखा से जुड़ा प्रश्न है.(व्यवधान)

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- अध्यक्ष महोदय,प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है. बड़ी मुश्किल से प्रश्न लगते हैं.

श्री मुकेश नायक-- एक विधायक की रक्षा नहीं होगी तो प्रश्न का क्या करेंगे.(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- माननीय सदस्य बैठ जायें. सदस्यों के अधिकार का उपयोग होने दें.

श्री मुकेश नायक-- मैं, सरकार से उम्मीद करता हूं कि इस विषय पर सरकार वक्तव्य दे. एक विधायक शपथ लेकर विधानसभा में चल नहीं पा रहा है.

अध्यक्ष महोदय-- आपने इस विषय पर कुछ लिख कर दिया है क्या?

श्री मुकेश नायक-- एक विधायक विधानसभा में चल नहीं पा रहा है..

अध्यक्ष महोदय-- आपने कोई विषय नियम प्रक्रियाओं के तहत उठाया नहीं है. आप कैसे बोल सकते हैं. प्रश्नकाल को बाधित करना उचित नहीं है.

श्री मुकेश नायक-- विधानसभा की नियम प्रक्रिया का तब महत्व है जब विधायक के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा हो. अन्यथा नियम-प्रक्रिया, संचालन का कोई महत्व नहीं है. एक विधायक शपथ लेते समय विधानसभा में चल नहीं पा रहा है.

अध्यक्ष महोदय-- माननीय मुकेश नायक जी आपसे अनुरोध है...

श्री मुकेश नायक-- मेरा भी अध्यक्षजी आपसे अनुरोध है. एक विधायक चल नहीं पा रही है. उसके साथ मारपीट की गई. आप उसकी रक्षा नहीं करेंगे क्या? यह सदन विधायकों के लिए बना है. अगर विधायक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षण नहीं करा पाया तो सदन का महत्व क्या रह जाता है.(व्यवधान)

श्री विश्वास सारंग-- अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल होने दीजिए.

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- आपने अपनी आंखों से विधायक की हालत देखी है. विधायक आपसे संरक्षण चाहते हैं.

अध्यक्ष महोदय-- आप लिख कर दें.

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- अध्यक्ष महोदय, लिख कर दिया है, देंगे. लेकिन आपने अपनी आंखों से देखा है.

श्री मुकेश नायक – यह बात उचित है हम यहां पर एक विधायक की रक्षा की बात कर रहे हैं, उसके लोकतांत्रिक अधिकारों की बात कर रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय – प्रश्नकाल में इस तरह से बात करना बिल्कुल उचित नहीं है.

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ नरोत्तम मिश्रा) – अध्यक्ष महोदय यह विषय संज्ञान में आ गया है. यह सच है हम उनसे भी सहमत हैं हर विधायक के सम्मान की रक्षा होना चाहिए उसके विधायी

कर्तव्य की रक्षा होना चाहिए. उन्होंने विषय ध्यान में ला दिया है . अब प्रश्नकाल को चलने दें यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं. अगर कोई और बात रह गई है तो आपसे व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं सदन के नेता से कह सकते हैं. वैसे सदन के नेता के सामने यह सारा विषय आ गया है.

श्री मुकेश नायक – जब विधायक बोलने की स्थिति में नहीं हैं तो प्रश्नकाल का क्या महत्व रह जाता है. माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय – यह बिल्कुल उचित नहीं है.

श्री कैलाश विजयवर्गीय – जो बोलने की स्थिति में हैं नेता जी उनको बोलने नहीं दे रहे हैं. यह नेता बनना चाहते हैं यही चक्कर है. अध्यक्ष महोदय यहां तो नेतृत्व का झगड़ा है. विधायक दल के नेता जिनके पास में दायित्व हैं वह चुपचाप बैठे हुए हैं. अब यह विधायक दल का नेतृत्व कर रहे हैं.

श्री मुकेश नायक – विजयवर्गीय जी कोई भी चुपचाप बैठा रहे मेरी जुबान यह सरकार चुप नहीं करा पायेगी. यह सदन इस बात का गवाह रहेगा. मैं आपसे मैनेज नहीं हो पाऊंगा यह ध्यान रखना.

श्री कैलाश विजयवर्गीय – वह मैनेज हो गये हैं इसका मतलब यह है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय – प्रश्नकाल चलने दें...(व्यवधान)...

श्री कैलाश विजयवर्गीय – आप घर का झगड़ा विधान सभा में क्यों ला रहे हैं. (व्यवधान)... वह मैनेज हैं और आप मैनेज नहीं हो रहे हैं....(व्यवधान)..

श्री मुकेश नायक – इस तरह की राजनीति मैं नहीं करता हूं..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महदोय – कृपया सीधी बात न करें...(व्यवधान)..

श्री सुन्दरलाल तिवारी – माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं.

श्री मुकेश नायक – जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी इस विधान सभा में आकर निष्पक्ष जांच कराने की बात नहीं कहेंगे.तब तक मैं बोलता रहूंगा...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय – आप किसी नियम के तहत लिखकर दे दें.

श्री कैलाश विजयवर्गीय – अध्यक्ष महोदय यह तो सीधे नेतृत्व की लड़ाई है और कुछ नहीं है...(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल तिवारी –(XX).(व्यवधान)..

श्री मुकेश नायक – मैं यहां पर तब तक बोलता रहूंगा जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर आकर निष्पक्ष जांच की घोषणा नहीं करेंगे...(व्यवधान)..

श्री कैलाश विजयवर्गीय – अध्यक्ष महोदय गंभीर विषय यह है कि आरोप यह लग गया कि कुछ लोग मैनेज हो गये हैं. सदन के अंदर यह आरोप लगा है.

अध्यक्ष महोदय – माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि सरकार के संज्ञान में यह विषय आ गया है.....(व्यवधान)...

श्री कैलाश विजयवर्गीय – गंभीर विषय यह है कि सदन में आरोप लग गया है कि कुछ लोग मैनेज हो गये हैं. यह बहुत भयंकर आरोप है सदन में इस तरह का आरोप कभी नहीं लगा है....(व्यवधान)--- कोई सदस्य सदन के अंदर यह कहे कि हमारा नेता मैनेज हो गया है. इस तरह के गंभीर आरोप कभी नहीं लगे हैं यह पहली बार लग रहे हैं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय – प्रश्न क्रमांक 1 श्री सुशील कुमार तिवारी

श्री सुन्दरलाल तिवारी – अध्यक्ष महोदय सदन में माननीय मंत्री जी बैठे हैं उनका अहम बोल रहा है, (XX) जो सत्तापक्ष के माननीय मंत्री हैं..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय – इस शब्द को विलोपित किया जाय. कृपा करके बैठ जायें. माननीय सदस्यों के गंभीर प्रश्न हैं.

श्री मुकेश नायक – अध्यक्ष महोदय आप मुख्यमंत्री जी को इस बात के निर्देश दें कि वह

(XX) विलोपित

सदन में आकर इस बात की घोषणा करें कि इस घटना की निष्पक्ष जांच करायेंगे...(व्यवधान).

अध्यक्ष महोदय – आपके कहने से कोई घोषणा नहीं करेगा..(व्यवधान).. सदन चलने दें माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है...(व्यवधान)..

श्री कैलाश विजयवर्गीय – अध्यक्ष महोदय अब तो सदन नहीं चलेगा अब तो सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में अरूण यादव जी आ गये हैं.... अब सब चिल्ला चिल्लाकर बोलेंगे. अब सब खड़े हो गये हैं अब कोई नहीं बैठेगा. (..व्यवधान).. कांग्रेस अध्यक्ष अरूण यादव जी अध्यक्षीय दीर्घा में आ गये हैं अब कोई नहीं बैठेगा.

अध्यक्ष महोदय – सभी सदस्य एक साथ बोल रहे हैं. आप वरिष्ठ सदस्य हैं आप अपने दल के सदस्यों को नियंत्रित करें...(व्यवधान)..

श्री मुकेश नायक – अध्यक्ष महोदय मैंने तो आपसे कह दिया है कि मुख्यमंत्री जी सदन में आये आखिर वह यहां पर क्या कर रहे हैं विधान सभा चल रही है वहां जाकर वह सो रहे हैं..... (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय – आपके दल के नेता खडे हुए हैं...(व्यवधान)...

डॉ नरोत्तम मिश्रा – इनके दल के नेता खड़े हैं फिर भी नहीं बैठ रहे हैं...

अध्यक्ष महोदय - यह विषय प्रश्नकाल में उठाने का नहीं है.

(व्यवधान)..

श्री मुकेश नायक - मुख्यमंत्री जी इस विधानसभा में पूरी घटना की न्यायिक जांच की घोषणा नहीं करते, हम बोलते रहेंगे.

संसदीय कार्यमंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) - अध्यक्ष जी, इतना आपस में मतभेद है कि दल के नेता को बोलने नहीं दे रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय - मैं माननीय सदस्यों से बार-बार अनुरोध कर रहा हूं (व्यवधान)..

श्री सुन्दरलाल तिवारी- अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष चाहता है सदन न चले.

श्री संजय पाठक - अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री मुकेश नायकजी सदन को गुमराह कर रहे हैं. यह जो घटना बताई जा रही है वह पूरी सत्यता से परे है.

(व्यवधान)..

श्री सुन्दरलाल तिवारी- विधायक चल नहीं पा रहे हैं.

एक माननीय सदस्य - अध्यक्ष महोदय, एक विधायक के साथ घटना घटी है.

अध्यक्ष महोदय - कृपया करके प्रश्नकाल चलने दें.

श्री मुकेश नायक - अध्यक्ष महोदय, जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में इस बात की घोषणा नहीं करते कि इसकी न्यायिक जांच होगी, तब तक हम बोलना बंद नहीं करेंगे.

अध्यक्ष महोदय - यह समय निकलता जा रहा है, प्रश्न क्रमांक-1.

श्री मुकेश नायक - काहेका प्रश्न क्रमांक-1? विधायक घायल है, विधायकों से बोलते नहीं बन रहा. (व्यवधान)...आप मुख्यमंत्री जी से कहिए कि विधानसभा के अंदर आकर इस घटना की निष्पक्ष जांच की घोषणा करें.

श्री संजय पाठक - माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जिन विधायक को घायल बता रहे हैं, वह विधायक खुद जाकर गोली चलाते हैं.

श्री कैलाश विजयवर्गीय - अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश विधानसभा के इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई प्रतिपक्ष का विधायक अपने दल के नेता के ऊपर यह आरोप लगाए कि वह मैनेज हो गये और मैं मैनेज नहीं हो रहा हूं. (व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य - एक विधायक को मारा है. (व्यवधान)..धारा 307 की कार्यवाही होनी चाहिए.

(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय - माननीय सदस्य प्रश्नकाल चलने दें. प्रश्नकाल की गंभीरता को समझें. आप जो कर रहे हैं यह उचित नहीं है. (व्यवधान)..

श्री सुन्दरलाल तिवारी- (व्यवधान)..यह जानकारी होना चाहिए कि क्या अपराध हुआ है. (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय - आप कृपया बैठ जाएं. आप उनकी तो सुन लें. बाकी माननीय सदस्य कृपया बैठ जाएं.

श्री बाला बच्चन - अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं (व्यवधान)..

श्री हरदीप सिंह डंग - अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाइए.

श्री बाला बच्चन - अध्यक्ष महोदय, हमारे दल के सभी सदस्य यह चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो और बहुत सारे हमारे विधायक साथियों ने इस पर स्थगन आए, इसके प्रस्ताव भी दिये हैं, इस पर चर्चा होना चाहिए. आप आश्वासन दे दीजिए.

अध्यक्ष महोदय - नहीं, अभी कोई विषय ही नहीं है. जब कोई विषय सामने नहीं है...

श्री बाला बच्चन - अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सदस्य के अगर यह हाल होंगे तो फिर आम जनता का क्या होगा? इस पर आपको व्यवस्था देना चाहिए.

डॉ. गोविन्द सिंह - विधायक जी पर हमले के बारे में मैंने ध्यानाकर्षण दिया है, स्थगन दिया है. विषय आपके समक्ष विधानसभा सचिवालय में है.

अध्यक्ष महोदय - माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि शासन के संज्ञान में यह बात है. आप किसी नियम के अंतर्गत लिखकर दे दीजिए, तब आगे बात होगी. आप कहां दे रहे हैं? (व्यवधान)..

श्री जितू पटवारी - हमने ध्यानाकर्षण लगाया है. (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय - आप कक्ष में आकर बात कर लीजिए...

श्री सुन्दरलाल तिवारी - विधायक जी सदन में आए हैं.

अध्यक्ष महोदय - ...अब यहां उसकी चर्चा कैसे कर सकते हैं? (व्यवधान)..प्रश्नकाल में चर्चा कैसे कर सकते हैं? आप कक्ष में आकर बात करिए...

श्री संजय पाठक - अध्यक्ष महोदय, यह विषय मेरे जिले से जुड़ा हुआ है, उसकी पूरी वीडियोग्राफी की कापी रखना चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय - ...प्रश्नकाल में कैसे उसकी चर्चा हो सकती है? (व्यवधान)..आप कक्ष में आकर बात कर लीजिए.

डॉ. गोविन्द सिंह - अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी परमिशन होगी तो चर्चा हो जाएगी.

अध्यक्ष महोदय - प्रश्नकाल में ये बातें नहीं उठाई जातीं. कृपा करके आप प्रश्नकाल चलने दें. (व्यवधान).. कृपया सहयोग दें, माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन नहीं करें. प्रश्न क्रमांक -1 श्री सुशील कुमार तिवारी अपना प्रश्न करें.

श्री संजय पाठक - माननीय सदस्य जो हल्ला कर रहे हैं इनको मालूम ही नहीं है कि घटनाक्रम क्या है?

अध्यक्ष महोदय - किसी को एलाऊ नहीं करेंगे, सिर्फ श्री सुशील कुमार तिवारी.

श्री मुकेश नायक - यह सरकार का अधिकार है कि सदन में मुख्यमंत्री कभी भी अपना वक्तव्य दे सकते हैं.

अध्यक्ष महोदय - कृपा करके बैठ जाएं, तिवारी जी आप अपना प्रश्न करें.

श्री संजय पाठक -अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी वीडियोग्राफी रखना चाहता हूं. इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि वहां पर बन्दूक लेकर कौन गया, गोली किसने चलाई, हाथा-पाई की शुरुआत किसने की? धारा 307 के अपराधी किसके साथ गये?

श्री मुकेश नायक - माननीय सदस्यों की यह भावना है कि मुख्यमंत्री जी सदन में वक्तव्य दें. उन्हें वक्तव्य देना चाहिए.

(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय - आप प्रश्नकाल पर चर्चा करना चाहते हैं कि नहीं?

(व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य - बन्दूक लेकर कौन गया?

अध्यक्ष महोदय - श्री तिवारी अपना प्रश्न करें.

श्री संजय पाठक - माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अनुमति देंगे तो मैं पूरे घटनाक्रम की सीडी लाकर रख दूंगा. घटनाक्रम में आप देखिए कि माननीय विधायक महोदय ने खुद बन्दूक निकाली.

अध्यक्ष महोदय - (व्यवधान)...नहीं, कोई अनुमति नहीं है किसी प्रकार की. (व्यवधान).. आप कक्ष में आकर बात करें. (व्यवधान)....अनर्गल आरोप नहीं लगाए.

श्री सुन्दरलाल तिवारी - (व्यवधान)..जो वीडियो बनाया है (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय - आप कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं किसी पर.

श्री संजय पाठक - अध्यक्ष महोदय, अनुमति हो तो यहां पर सीडी लाकर रख दूंगा. उसकी रिकार्डिंग हुई है. (व्यवधान).. क्या मतदान केन्द्र पर रिवाल्वर ले जाना एलाऊड है? (व्यवधान)..

श्री सुन्दरलाल तिवारी - ....(व्यवधान)..जहां झगड़ा होता है वहां वीडियो बनता है? (व्यवधान)...

श्री संजय पाठक - अध्यक्ष महोदय, अगर आप अनुमति दें तो सारी रिकार्डिंग की कापी लाकर यहां मैं रख सकता हूं.

श्री सुन्दरलाल तिवारी - अगर कोई रिकार्डिंग है तो वह साजिश है.

(व्यवधान)

श्री संजय पाठक—ये गोली चला कर मध्यप्रदेश को बिहार बनाना चाहते हैं.

अध्यक्ष महोदय- आप कक्ष में आकर के मिल लीजिए, मैं आपसे बोल रहा हूं. माननीय नेताजी आपसे अनुरोध है, आप अपने सदस्यों को शान्त करें. प्रश्नकाल चलने दें. माननीय सदस्यों के मुश्किल से प्रश्न लगते हैं. (व्यवधान) श्री सुशील कुमार जी को बोलने दें.

श्री बाला बच्चन—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा चल रही है. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—कृपया बैठ जायें.

श्री बाला बच्चन—माननीय अध्यक्ष महोदय, सौरभ सिंह जी की हालत को देखते हुए उनके साथ जो घटना हुई है. (व्यवधान)

श्री शंकर लाल तिवारी—(व्यवधान) (XX)

अध्यक्ष महोदय—ये शब्द कार्यवाही से निकाल दें.

श्री बाला बच्चन- अध्यक्ष महोदय, सौरभ सिंह जी की हालत को देखते हुए उनके साथ जो घटना हुई है ,हमारी पार्टी के सारे विधायक चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो. अध्यक्ष महोदय, एक विधायक साथी यहां पर जिस हालात में आकर शपथ लेते हैं और हम देखते हैं ,घटना हुई है,

मारपीट हुई है. उनके हालात क्या हैं, इस पर मेरी पार्टी के सारे विधायक चाहते हैं कि स्थगन आये और चर्चा हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाय. अगर विधायक पिट गये तो आम जनता के प्रदेश में क्या हाल होंगे. इस पर से हम प्रदेश की कानून व्यवस्था का अनुमान लगा सकते हैं. इसमें अध्यक्ष महोदय आपको व्यवस्था देना चाहिए. यह आग्रह है.

अध्यक्ष महोदय—माननीय सदस्य, आपसे मैने पहले भी कहा कि आप कक्ष में आ जायें तो इस विषय पर चर्चा कर लेंगे. माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि शासन के संज्ञान में यह बात है. जैसा कि आपने अभी कहा है कि इस पर स्थगन दिया है तो

(XX) विलोपित

आप कक्ष में आ जाईये, बात कर लेंगे. प्रश्न क्रमांक (1)

श्री मुकेश नायक- विधान सभा का फ्लोर महत्वपूर्ण है. जहां सदस्य अपनी बात रखते हैं.

अध्यक्ष महोदय—इसीलिए तो कक्ष में बुला रहे हैं.

श्री मुकेश नायक- अध्यक्षजी मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी सदन में एक वक्तव्य दें और वक्तव्य देना सरकार का अधिकार है. यह संचालन और प्रक्रिया में भी आता है कि चलते हुए सदन में मुख्यमंत्री जी वक्तव्य दे सकते हैं.

श्री संजय पाठक—अध्यक्ष महोदय, बिहरी संस्कृति लाने वाले, गोली चलाने वाले ,आदतन अपराधियों को.(व्यवधान)....

डॉ. नरोत्तम मिश्र –अध्यक्ष महोदय, आसंदी से व्यवस्था आ गई है इसके बाद तो बच्चन जी आपको अपने दल के लोगों को रोकना चाहिए. आप अपनी प्रतिस्पर्धा को यहां न लाये. प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—समय समाप्त हो रहा है, कृपा करके प्रश्न आ जाने दें. यह अच्छी बात नही है (व्यवधान)

डॉ.नरोत्तम मिश्र- आपने आग्रह किया और आसंदी ने व्यवस्था दे दी. उसके बाद तो विषय का पटाक्षेप हो गया. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय- बाला बच्चन जी आपकी बात आ गई है, इसके बाद में आप कृपा करके उनका प्रश्न आने दें. (व्यवधान)

श्री शंकरलाल तिवारी- अध्यक्ष महोदय, कुल झगड़ा सरदारी का है. आज कोई नेता प्रतिपक्ष भी नहीं है. पूरा झगड़ा सरदारी का है. मुकेश नायक जी सरदार हों कि बच्चन नायक जी सरदार हों कि सुन्दरलाल तिवारी जी सरदार हो. मेरा निवेदन यह है कि जब अध्यक्ष महोदय ने कक्ष में बुला लिया है और स्थगन पर भी बात करने की बात कह दी. फिर बार बार सुन्दरलाल जी, बच्चन जी.. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय- तिवारी जी, समय समाप्त हो रहा है, आप प्रश्न करें.

श्री मुकेश नायक—अध्यक्ष महोदय, मै आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को सदन में बुलायें. (व्यवधान)

श्री शंकरलाल तिवारी—अध्यक्ष जी सिर्फ सरदारी का झगड़ा है. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य- सरदारी की बात नहीं है, सरकार को चेताने की बात है.(व्यवधान) सरकार ठीक चले इसकी बात है.

अध्यक्ष महोदय—कृपया शान्ति रखें. (व्यवधान) . प्रश्नकाल समाप्त

(प्रश्नकाल समाप्त)

शून्यकाल

अध्यक्ष महोदय—शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाएंगी.

श्री रामनिवास रावत—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने उन पर जो हमला हुआ है, वह बात अपने स्थगन में आई है. उन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया है.

अध्यक्ष महोदय—उनकी सूचना आई है. आप कक्ष में आकर बात कर लें, मैंने जानकारी बुलाई है.

श्री रामनिवास रावत—अध्यक्ष महोदय, इसमें आपका संरक्षण चाहिए.

अध्यक्ष महोदय—मैं संरक्षण को तैयार हूं. मैं तो बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि आप सब बैठ जाएं और मुझसे कक्ष में आकर चर्चा कर लें.

बहिर्गमन

कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य संबंधी घटना पर चर्चा की मांग करते हुए कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन

श्री बाला बच्चन—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कुंवर सौरभ सिंह के साथ हुई घटना पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की जा रही है. इसलिए हम लोग सदन से बहिर्गमन करते हैं.

(कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य संबंधी घटना पर चर्चा की मांग करते हुए कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया.)

अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

(1) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश,2014 (क्रमांक 2 सन् 2014),
(2) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 3 सन् 2014),
(3) मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 4 सन् 2014),
(4) भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 5 सन् 2014),
(5) मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 6 सन् 2014),
(6) मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 7 सन् 2014),
(7) मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 8 सन् 2014),
(8) मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 9 सन् 2014),तथा
(9) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 10 सन् 2014).

विधि और विधायी कार्य मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले)—अध्यक्ष महोदय, मैं

भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेशों :-

1. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 2 सन् 2014),

2. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश,2014(क्रमांक 3 सन् 2014),

3. मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 4 सन् 2014),

4. भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 5 सन् 2014),

5. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 6 सन् 2014),

6. मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 7 सन् 2014),

7. मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 8 सन् 2014),

8. मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 9 सन् 2014) तथा

9. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 10 सन् 2014)

को पटल पर रखती हूं.

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(क) संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक,2014 पारित किये जाने से संबंधित लोक सभा एवं राज्य सभा की कार्यवाहियां और उक्त संशोधन के अनुसमर्थन के लिए प्राप्त राज्य सभा सचिवालय की सूचना, तथा

(ख) कम्पनीज एक्ट,1956 की धारा 619 –क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार –

(i) मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड,भोपाल का 31 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 31 मार्च,2012 को समाप्त वर्ष के लिये,

(ii) एम.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल का 43 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2011-2012.

विधि और विधायी कार्य मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले)—अध्यक्ष महोदय, मैं

(क) संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किये जाने से संबंधित लोक सभा एवं राज्य सभा की कार्यवाहियों और उक्त संशोधन के अनुसमर्थन के लिये प्राप्त राज्य सभा सचिवालय की सूचना, तथा

(ख) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार –

(i) मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का 31 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिये, एवं

(ii) एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल का 43 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2011-2012 पटल पर रखती हूं.

(2) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) की कण्डिका 22 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन 2013-2014

उच्च शिक्षा मंत्री (उमाशंकर गुप्ता)—अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश

निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सन 2007) की कण्डिका 22 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन 2013-2014 पटल पर रखता हूं.

समय – 11.35 बजे

जून-जुलाई, 2014 सत्र निर्धारित अवधि के पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय – जून-जुलाई, 2014 सत्र निर्धारित अवधि के पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर पटल पर रखे गये.

नियम 267-क के अधीन जून-जुलाई, 2014 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय – नियम 267-क के अधीन जून-जुलाई, 2014 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनका शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखा गया.

समय 11.36 बजे

राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय – मध्यप्रदेश विधान सभा के विगत सत्र में पारित 1 विधेयक को माननीय राष्ट्रपति महोदय तथा 7 विधेयकों को माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है. अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं. इन विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जाएंगे.

समय 11.37 बजे

ध्यान आकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री रामनिवास रावत (विजयपुर), (ठाकुरदास नागवंशी) :-

अध्यक्ष महोदय,

मेरी ध्यान आकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है:-

प्रदेश के 13 लाख 83 हजार किसानों ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत लगभग 22 लाख 64 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल का बीमा कराया गया था। फसल नुकसान होने के बाद किसानों द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत क्लेम प्राप्त किए जाने हेतु अपने क्लेम प्रस्तुत किए तो बीमा कंपनी ने सोयाबीन की फसल बुवाई का क्षेत्रफल और राजस्व रिकार्ड में दर्ज बुवाई के क्षेत्रफल का मिलान किया तब पता चला कि राजस्व रिकार्ड में मात्र 13 लाख 58 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुवाई होना दर्ज हुआ। राजस्व अमले एवं कृषि विभाग के कर्मचारी/अधिकारियों की लापरवाही के कारण 9 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में सोयाबीन फसल की बुवाई की जानकारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण प्रदेश के 6 लाख से अधिक किसान बीमा क्लेम से वंचित हो गए हैं। इसी प्रकार 1 जनवरी, 2014 के पश्चात हुई ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को हुए नुकसान की बीमा राशि का क्लेम नहीं मिल पा रहा है इसका कारण संबंधित संस्थाओं द्वारा बीमा राशि का प्रीमियम काटे जाने के बाद भी शासन द्वारा बीमे की प्रीमियम राशि बीमा कंपनी को नहीं भेजना है, जबकि बैंकों द्वारा जबरन ॠण वसूली किये जाने से, क्रेडिट कार्ड की राशि खातो में न डाले जाने से किसान मानसिक दबाव में है। पिपरिया क्षेत्र के तहसील बनखेड़ी के ग्राम वानीकामती,पथरकुही, मुर्गीढाना, डंगरहाई, दहलवाड़ा, रहरवाड़ा, जूनावानीढाना, खरसली एवं वाचावानी, कजियाखेड़ा एवं केमढाना आदि ग्रामों में शत प्रतिशत क्षतिपूर्ति दर्ज होने के बाद भी बीमा राशि वितरण में छोड़ दिया गया है। किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले राजस्व विभाग के अमले के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं होने एवं किसानों के कृषि बीमा क्लेम से वंचित रह जाने से शासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री(श्री गौरीशंकर बिसेन)—अध्यक्ष महोदय,

यह सही नहीं है कि प्रदेश के 13 लाख 83 हजार किसानों से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत लगभग 22 लाख 64 हजार हेक्टर क्षेत्रफल का बीमा कराया गया था। वास्तविक स्थिति यह है कि प्रदेश के 23,37,003 कृषकों द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत 52,86,354 हेक्टर क्षेत्रफल का बीमा कराया गया था। फसलों के नुकसान का आंकलन राजस्व विभाग द्वारा आयोजित फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया गया है। शासन द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार अधिसूचित फसल की उपज के आंकड़ें थ्रेश होल्ड उपज से कम पाये जाने पर बीमा कम्पनी द्वारा नियमानुसार 14,20,662 कृषकों को राज्यांश तथा केन्द्रांश एवं प्रीमियम की बीमा राशि रू0 2187,43,05,833/- बैंकों के माध्यम से किसानों के खाते में जमा की गई है । कतिपय हलकों में फसल का रकबा हेक्टर के स्थान पर एकड़ दर्शित होने से बीमित क्षेत्र के आकडों में विसंगति हुई है। इन विसंगति के निराकरण हेतु शासन स्तर से जिला कलेक्टरों को बीमित क्षेत्र के वास्तविक आंकलन हेतु निर्देश जारी किये गये है। कतिपय बैंकों के द्वारा बीमा दावों की कार्यवाही पूर्ण न होने से जिन कृषकों को नियमानुसार लाभ प्राप्त नही हो सका है उनकी विसंगतियाँ दूर कर प्रकरण, बीमा कम्पनी के माध्यम से राज्य स्तरीय तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्णय लिया गया है। तदोपरान्त प्रकरणों का परीक्षण कर बीमा कम्पनी द्वारा दावों का भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। अतः राजस्व व कृषि विभाग के किसी अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही परिलक्षित नहीं हो रही है। अतः यह सही नही है कि कृषि बीमा से वंचित रह जाने के कारण किसानों में शासन के प्रति आक्रोश प्राप्त है। प्रदेश में प्रथम बार खरीफ 2013 में 14,20,662 कृषकों को राशि रूपये 2187,43,05,833/- किसानों के खातों में जमा की गई है।

रबी 2013–14 में बोई गई अधिसूचित फसलों के फसल कटाई परिणामों के आधार पर आंकलित अंतिम आंकडों को 31 जुलाई तक फसल बीमा कम्पनी को आयुक्त भू अभिलेख एवं बदोवस्त ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत किये जाने की समय सीमा निर्धारित है। अतः 01 जनवरी 2014 के पश्चात हुई ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को हुए नुकसान की बीमा राशि के दावों के गणना का कार्य प्रक्रियाधीन है। इसलिये यह कहना सही नहीं है कि ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को हुये नुकसान की बीमा राशि का क्लेम नही मिल पा रहा है।

विधानसभा क्षेत्र पिपरिया अन्तर्गत तहसील बनखेड़ी के ग्राम कामठी, मुर्गीढाना, डंगरहाई, में फसल रकबा 100 हेक्टर से कम होने के फलस्वरूप अधिसूचित नही होने के कारण बीमा का लाभ नियमानुसार बीमा कम्पनी द्वारा नही किया गया है ।

तहसील बनखेड़ी के ग्राम दहलवाड़ा, रहटवाड़ा, जूनावानीढाना, खरसली एवं वाचावानी, कजियाखेड़ा एवं केमढाना के कृषकों को नियमानुसार बीमा राशि का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया गया है ।

अतः इस प्रकार किसानों के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है तथा बीमा दावों के भुगतान के प्रक्रिया उपरान्त पात्र किसानों को राशि का भुगतान किया जायेगा। अतः यह कथन सही नहीं है कि कृषि बीमा क्लेम से बंचित रह जाने के कारण किसानों में शासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है।

श्री सोहनलाल वाल्मीकि—अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी को तो बुलाइये. चार-पांच दिन का सत्र चल रहा है और मुख्यमंत्री जी यहां पर नहीं हैं. यह हम लोगों के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि नहीं?

अध्यक्ष महोदय—कृपा करके यह कॉल अटेंशन होने दीजिए. पहले ही आप लोगों ने प्रश्नकाल नहीं होने दिया. अब ध्यानाकर्षण भी नहीं होने देना चाहते. (व्यवधान) माननीय मंत्री जी आप अपना जवाब पढ़ना जारी रखें.

श्री मुकेश नायक—अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी जब तक विधानसभा के अन्दर आकर इस बात की घोषणा नहीं करते कि कटनी में विधायक के साथ हुई मारपीट की न्यायिक जांच होगी (व्यवधान)

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, पहले सत्र व्यापम के नाम पर चलने नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट से (XX) और फिर एक बार बहिर्गमन होने के बाद में इस तरह सदन नहीं चलने देना आपत्तिजनक बात है.

11.41 बजे **गर्भगृह में प्रवेश**

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में प्रवेश

(व्यवधान के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा अपनी बात कहते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया गया)

अध्यक्ष महोदय-- यह बिलकुल उचित नहीं है. आप माननीय अन्य सदस्यों को बोलें. आप वरिष्ठ सदस्य है आपको बतला दिया कि कक्ष में बात कर लेंगे(व्यवधान) यह बिलकुल उचित नहीं है.(व्यवधान)

डॉ. नरोत्तम मिश्रा-- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इस सदन का दुर्भाग्य है.

(XX) विलोपित

कांग्रेस ने कभी जनहित के मुद्दों की चर्चा नहीं की. जिस विषय पर आसंदी ने व्यवस्था दे दी है. सम्मानित विधायक के बारे में आपकी व्यवस्था आ गयी है उसके बावजूद भी, बहिर्गमन के बावजूद भी इस तरह से व्यवधान करके कार्यवाही बाधित करना घोर आपत्तिजनक है. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—एक बार बहिर्गमन किया न. फिर वही विषय उठा दिया. आप कैसी परम्परा डाल रहे हैं? आप किस तरह से विधानसभा को चलाना चाहते हैं .

डॉ. नरोत्तम मिश्रा-- किसी नियम प्रक्रिया से, किसी परम्परा से सदन चलता है. जिस विषय पर बहिर्गमन हो गया. जिस विषय पर आसंदी की व्यवस्था आ गयी. उसके बावजूद ये इस तरह से कर रहे हैं. ये अपने ध्यानाकर्षण पर चर्चा नहीं चाहते. आप बोलो नहीं चाहते किसान पर चर्चा.अध्यक्ष महोदय, ये किसानों पर कोई चर्चा नहीं चाहते हैं. इन्होंने प्रश्नकाल नहीं चलने दिया. ये ध्यानाकर्षण नहीं चलने दे रहे हैं. यह मुद्दाविहीन विपक्ष है. कांग्रेस की जमानत जप्त हुई है, तीसरे नम्बर पर आयी है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—बैठ जाइये आप. ध्यानाकर्षण होने दीजिए (व्यवधान)

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—अध्यक्ष महोदय, किसी नियम प्रक्रिया से सदन चलेगा कि नहीं चलेगा. बहिर्गमन कर दिया, आसंदी ने व्यवस्था दे दी.

अध्यक्ष महोदय-- बहिर्गमन के बाद उसी विषय को नहीं उठाते. दूसरा विषय प्रारम्भ हो जाता है. (व्यवधान)

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री(श्री कैलाश विजयवर्गीय)—अध्यक्ष महोदय, जनता ने जिस बेहतरीन तरीके से इनको हराया. हमारी सहानुभूति इनके साथ है.(व्यवधान)

डॉ. नरोत्तम मिश्रा-- माननीय अध्यक्ष महोदय दुआ करेंगे कि कटारे जी जल्दी आ जाएं तो इनकी आपस की लड़ाई खत्म हो. माननीय कटारे जी जल्दी स्वस्थ होकर के आ जाएं तो इनकी

लड़ाई खत्म हो. नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में अनेक लोग आ गए. उनसे ही निवेदन करेंगे, इतना महत्वपूर्ण सदन है वे जल्दी मुम्बई से आ जाएं तो यह विवाद समाप्त हो. (व्यवधान)

श्री बाला बच्चन – माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे दिये गये स्थगन पर चर्चा कराना चाहिए (व्यवधान)

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी का जवाब पूरा आ चुका है.

अध्यक्ष महोदय—श्री राम निवास रावत कृपया अपना प्रश्न करें. (व्यवधान)

श्री बाला बच्चन—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे स्थगन पर आप व्यवस्था दें.

अध्यक्ष महोदय—श्री ठाकुरदास नागवंशी जी अपना प्रश्न करें. (व्यवधान)

डॉ. नरोत्तम मिश्रा-- अध्यक्ष महोदय, आसंदी की व्यवस्था आ गयी, बहिर्गमन हो गया. बहिर्गमन के बाद आ के विषय उठा दिया. कुछ तो भी करे जा रहे हैं.आपने कक्ष में चर्चा के लिए बुला लिया (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- आप कृपया अपने स्थान पर बैठें. उनका प्रश्न आने दें.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—ध्यानाकर्षण पर चर्चा नहीं है, किसानों के मुद्दों पर चर्चा नहीं हैं, प्रश्नकाल पर चर्चा नहीं है. जनहित के मुद्दों पर आखिर कांग्रेस कभी चर्चा करेगी कि नहीं? (व्यवधान)

(व्यवधान के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-2 सदन में पढ़ी नहीं जा सकी, न ही माननीय मंत्री जी का वक्तव्य पढ़ा जा सका)

.....व्यवधान....

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री(श्री कैलाश विजयवर्गीय)--- मुकेश जी, आप तो संसदीय ज्ञान के ज्ञाता हो, बाकी कांग्रेस के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा पर आप तो बहुत विद्वान सदस्य हो आप तो सब समझते हैं , बाकी हम तिवारी जी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे उनके लिए तो माफी है...(व्यवधान)...

11.45 बजे **सभापति तालिका**

अध्यक्ष महोदय--- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उपनियम(1) के अधीन, मैं, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट करता हूं.

1. श्री मानवेन्द्र सिंह
2. श्री कैलाश चावला
3. श्रीमती अर्चना चिटनीस
4. श्री केदारनाथ शुक्ल
5. श्री रामनिवास रावत
6. डॉ. गोविन्द सिंह

.....(व्यवधान)....

11.46 बजे **याचिकाओं की प्रस्तुति**

अध्यक्ष महोदय-- आज की कार्यसूची में सम्मिलित सभी याचिकायें प्रस्तुत की हुई मानी जायेंगी.

11.47 बजे **शासकीय विधि विषयक कार्य**

1. मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त(संशोधन), विधेयक, 2014(क्रमांक 20 सन् 2014) का पुरःस्थापन

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन(श्री लाल सिंह आर्य)--- अध्यक्ष महोदय, मैं, **मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त(संशोधन) विधेयक, 2014** के पुरःस्थापन की अनुमति चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय--- प्रश्न यह है कि **मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त(संशोधन) विधेयक, 2014** के पुरःस्थापन की अनुमति दी जाय.

अनुमति प्रदान की गई.

श्री लाल सिंह आर्य-- अध्यक्ष महोदय, मैं, **मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त(संशोधन) विधेयक, 2014** का पुरःस्थापन करता हूं.

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य व्यवधान के बीच गर्भगृह में नारे लगाते रहे)

श्री विश्वास सारंग-- नारे याद कर लो. अध्यक्ष महोदय, विधायक महोदय को हाथ में लगी है और चलते नहीं बन रहा है.

2. दंड विधि(मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014(क्रमांक 18 सन् 2014)

विधि एवं विधायी कार्य मंत्री(सुश्री कुसुम सिंह महदेले)--- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करती हूं कि **दंड विधि(मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014** पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय-- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि **दंड विधि(मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014** पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय--- प्रश्न यह है कि **दंड विधि(मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014** पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय--- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 9 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 से 9 इस विधेयक का अंग बने.

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले--- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करती हूं **कि दंड विधि(मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014** पारित किया जाय.

अध्यक्ष महोदय-- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि **दंड विधि(मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014** पारित किया जाय.

प्रश्न यह है कि **दंड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014** पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

श्री बाला बच्चन--- अध्यक्ष महोदय, आपको हमारी बात को भी सुनना चाहिए आप हमारे स्थगन पर व्यवस्था दें.

श्री रामनिवास रावत-- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक तो पारित हो जाएंगे.. (व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय--- आप सभी अपने स्थान पर बैठ जायें आपको बार-बार कह रहे हैं लेकिन आप मानते नहीं हैं. आप लोगों ने प्रश्नकाल पूरा जाया कर दिया,ध्यानाकर्षण भी जाया कर दिया, अब कानून पर आप लोग बहस कर लें. आपको यह तरीका बिल्कुल उचित नहीं है, इस तरह से आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं.

श्री बाला बच्चन-- अध्यक्ष महोदय, आप आसंदी से व्यवस्था दे दें कि आप हमारी बात सुनेंगे.

श्री संजय पाठक-- माननीय अध्यक्ष महोदय, गोलीकांड के विधायक को बचाने का और संरक्षण देने का कार्य कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कर रही है, जिसने गोली चलाई जो बिहारी संस्कृति ला रहा है उसको यह संरक्षण देने की बात कर रहे हैं और जो कांग्रेस के सदस्यगण खड़े हैं इनको घटनाक्रम के बारे में कुछ नहीं मालूम है, इनको सबको घटनाक्रम की क्लिपिंग की एक-एक सीडी बनकर पहुंच जाएगी...(व्यवधान)..

3.मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि(संशोधन) विधेयक, 2014(क्रमांक 19 सन् 2014)

वित्त मंत्री(श्री जयंत मलैया)-- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि **मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि(संशोधन) विधेयक, 2014** पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय-- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि **मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि(संशोधन) विधेयक, 2014** पर विचार किया जाय.

प्रश्न यह है कि **मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि(संशोधन) विधेयक, 2014** पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय-- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

..(व्यवधान)..

वित्त मंत्री(श्री जयंत मलैया)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाए...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाए...(व्यवधान)..

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाए...(व्यवधान)..

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ...(व्यवधान)..

..(व्यवधान)..

श्री जितू पटवारी--- अध्यक्ष महोदय, (XX) कि पूरा विपक्ष आपकी आसंदी के नीचे खड़ा है और आप कुछ सुनना नहीं चाहते हैं. ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय--- विधेयक के बीच में कोई चर्चा नहीं होगी...(व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य--- विपक्ष अब है कहाँ...(व्यवधान)..

श्री अजय सिंह--- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की घटना हुई है और हमारी मांग है इस पर चर्चा करायें लेकिन इस पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं...(व्यवधान)....

श्री बाला बच्चन--- अध्यक्ष महोदय, विधायक पिटने लगे हैं, विधायक के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है और उस पर आप चर्चा नहीं करा रहे हैं. ...(व्यवधान)...

श्री जितू पटवारी-- अध्यक्ष जी, यह मध्यप्रदेश की विधानसभा की परंपरा नहीं हो सकती है .जो उप नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है कि आप इसमें व्यवस्था दें तो आप इसको क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं. यह गलत तरीका है, (XX)...(व्यवधान)..अध्यक्ष जी, यह लोकतंत्र का गला..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- (गर्भ गृह में इंडियन नेश्नल काँग्रेस के माननीय सदस्य अपनी अपनी बात कहते रहे) गलत तरीका कर रहे हैं अब वेल में आकर आप बात करना चाहते हैं. अपने स्थान से बात नहीं करना चाहते...(व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य-- अपने स्थान से बात कर रहे हैं...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- अपने स्थान पर जाइये...(व्यवधान)..और इसके बाद में जो विषय चल रहा है उस पर बात करिए...(व्यवधान)..

श्री जितू पटवारी-- अध्यक्ष जी, आप से माफी चाहता हूँ (XX) ...(व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य-- आप इसमें सरकार का पक्ष क्यों ले रहे हैं?..(व्यवधान)..

श्री जितू पटवारी-- अध्यक्ष जी, आप से मांग कर रहे हैं कि आप व्यवस्था दें और आप तानाशाही कर रहे हैं...(व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य-- जीतू पटवारी जी, आप असंसदीय भाषा बोल रहे हैं..(व्यवधान)..

श्री जितू पटवारी-- अध्यक्ष जी, मैं अनुरोध करता हूँ यह सदन की परंपरा नहीं हो सकती...(व्यवधान)...यह सदन की परंपरा नहीं है न संविधान ऐसा कहता है..(व्यवधान)..

श्री संजय पाठक-- माननीय अध्यक्ष जी, आप से मेरा आग्रह है, सदन से मेरा आग्रह है कि इस गोलीकांड के किसी अपराधी को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए...(व्यवधान)..जिसने भी गोली चलाई, जिसने गोलीकांड किया, उनको किसी तरह का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए...(व्यवधान)..इस पर जितनी भी (XX) हो रही है कॉंग्रेस पार्टी की यह सिर्फ गोलीकांड के आरोपी विधायक को और उसके साथियों को संरक्षण देने के लिए हो रही है..(व्यवधान)..

11.51 बजे

प्रतिवेदन पर चर्चा

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछ्ड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 19 के अंतर्गत उन्नीसवें वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012 पर चर्चा.

अध्यक्ष महोदय-- मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछ्ड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 19 के अंतर्गत उन्नीसवें वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012 पर चर्चा प्रारंभ होगी...(व्यवधान)..

श्री जितू पटवारी-- अध्यक्ष जी, मैं आप से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप इस पर व्यवस्था दें, अध्यक्ष जी, व्यवस्था देना पड़ेगी...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- जबर्दस्ती व्यवस्था नहीं दे सकते...(व्यवधान)..

(XX) विलोपित

श्री जितू पटवारी-- यह गलत तरीका है. सरकार यहाँ कुछ नहीं करती...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनाँक 9 दिसंबर, 2014 को प्रातः 10.30 बजे तक के लिए स्थगित.

11.52 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनाँक 9 दिसंबर 2014 (18 अग्रहायण, शक संवत् 1936) के प्रात: 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल,
दिनांक : 8 दिसंबर, 2014

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधानसभा